भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1450

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में विचाराधीन कैदी

†1450. श्रीमती मीनाक्षी लेखी :
श्री विष्णुदयाल राम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की विभिन्न जेलों में बंद दोषसिद्ध कैदियों और विचाराधीन कैदियों का लिंग-वार, जेल-वार और राज्य-वार पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;
(ख) सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात भी विभिन्न कारणों से जेलों में बंद कैदियों की संख्या कितनी है और लिंग, जेल और राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;
(ग) ऐसे कैदियों के लिंग, जेल और राज्य-वार कब तक रिहा होने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों की कमी के अभाव में बढ़ती हिंसक झड़पों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आदर्श जेल नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) विचाराधीन कैदियों के शीघ्र विचार और रिहाई हेतु तथा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2014 के अंत में संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश की जेलों में 1,31,517 दोषसिद्ध कैदी और 2,82,879 विचाराधीन कैदी बंद थे। दोषसिद्ध एवं विचाराधीन कैदियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं लिंग-वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2014 के अंत में संकलित किये गये आंकड़ों के अनुसार, अपनी सजा की अवधि पूरी करने के पश्चात आर्थिक दंड की राशि का भुगतान नहीं कर पाने के कारण देश की जेलों में बंद दोषसिद्ध कैदियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा लिंग-वार विवरण अनुलग्नक-।। में दिया गया है। इन कैदियों को रिहा करने से संबंधित आंकड़े केन्द्र के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ड.) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। अतः कारागारों के प्रशासन एवं प्रबंधन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, गृह मंत्रालय ने कारागार के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक नया मॉडल कारागार मैनुअल 2016 तैयार किया है और मार्गदर्शन के लिए उसकी प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है।

(च) : विचाराधीन कैदियों तथा जेलों में भीड़ को कम करने के संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

i. विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समिति के एक सदस्य के रुप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिनांक 14.08.2015 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक पत्र भेजा गया है।

ii. सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कारागारों में कैदियों की अधिक संख्या को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के प्रयोग के संबंध में दिनांक 17.01.2013 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया गया है। इसे गृह मंत्रालय की

वेबसाइट पर भी निम्नलिखित लिंक से प्राप्त किया जा सकता हैः

http://mha1.nic.in/PrisonReforms/pdf/AdvSec436APrisons-060213_o.pdf

iii. केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 03.09.2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों को देश की जेलों में कैदियों की अधिक संख्या को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के प्रयोग के संबंध में पत्र लिखा है।

iv. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के संबंध में रिट याचिक सं. 310/2005-भीम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 05.09.2014 के अपने आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं। दिनांक 22.09.2014 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महानिदेशक (कारागार)/महानिरीक्षक (कारागार) से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

v. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के अधीन विचाराधीन कैदियों के न्यायिक हिरासत में व्यतीत किये गये आधे समय की गणना करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 27.09.2014 को परामर्शी-पत्र जारी किया गया है। इसे निम्नलिखित लिंक पर गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

http://mha1.nic.in/PrisonReforms/pdf/GuidelinesForRreckoningHalfLife_161014.pdf

---

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1
लोक सभा अता० प्र० सं० 1450

दिनांक 03.05.2016 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1450 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दोषसिद्ध कैदी			विचाराधीन कैदी		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2462	142	2604	5097	221	5318
2	अरुणाचल प्रदेश	32	0	32	91	4	95
3	असम	3033	108	3141	5007	186	5193
4	बिहार	4334	112	4446	25822	978	26800
5	छत्तीसगढ़	6822	334	7156	8895	465	9360
6	गोवा	137	8	145	363	19	382
7	गुजरात	3661	176	3837	7198	319	7517
8	हरियाणा	7172	345	7517	10685	439	11124
9	हिमाचल प्रदेश	872	32	904	1171	45	1216
10	जम्मू और कश्मीर	337	12	349	1829	70	1899
11	झारखंड	3723	147	3870	13072	718	13790
12	कर्नाटक	3978	207	4185	9441	371	9812
13	केरल	2543	64	2607	4364	107	4471
14	मध्य प्रदेश	16567	521	17088	18561	627	19188
15	महाराष्ट्र	7523	401	7924	18867	1028	19895
16	मणिपुर	92	1	93	479	31	510
17	मेघालय	84	1	85	695	2	697
18	मिजोरम	483	16	499	511	44	555
19	नागालैंड	67	2	69	328	8	336
20	ओडिशा	3179	108	3287	11123	430	11553
21	पंजाब	10009	531	10540	14694	773	15467
22	राजस्थान	5400	231	5631	14145	463	14608
23	सिक्किम	105	2	107	153	4	157
24	तमिलनाडु	4783	158	4941	8621	413	9034
25	तेलंगाना	2026	169	2195	3506	277	3783
26	त्रिपुरा	491	11	502	390	17	407
27	उत्तर प्रदेश	24596	970	25566	59913	2602	62515
28	उत्तराखंड	1908	91	1999	1985	71	2056
29	पश्चिम बंगाल	5069	312	5381	13143	907	14050
30	अं.और नि. द्वीपसमूह	681	1	682	83	4	87
31	चंडीगढ़	332	18	350	338	14	352
32	दा. और न. हवेली	0	0	0	198	1	199
33	दमण और दीव	15	1	16	63	0	63
34	दिल्ली	3505	169	3674	9738	433	10171
35	लक्षद्वीप	0	0	0	28	0	28
36	पुदुचेरी	93	2	95	186	5	191
	कुल	126114	5403	131517	270783	12096	282879

अनुलग्नक-।। के पृष्ठ 1 का 1

लोक सभा अता० प्र० सं० 1450

दिनांक 03.05.2016 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1450 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर्थिक दंड की राशि का भुगतान नहीं करने के लिए सजा पूरी होने के पश्चात जेलों में बंद दोषसिद्ध कैदी		
		पुरुष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	3	0	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	17	2	19
5	छत्तीसगढ़	8	1	9
6	गोवा	2	1	3
7	गुजरात	0	0	0
8	हरियाणा	24	0	24
9	हिमाचल प्रदेश	14	0	14
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11	झारखंड	12	0	12
12	कर्नाटक	4	0	4
13	केरल	41	1	42
14	मध्य प्रदेश	40	0	40
15	महाराष्ट्र	43	2	45
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	16	0	16
21	पंजाब	43	0	43
22	राजस्थान	26	1	27
23	सिक्किम	4	0	4
24	तमिलनाडु	12	0	12
25	तेलंगाना	5	0	5
26	त्रिपुरा	53	0	53
27	उत्तर प्रदेश	359	13	372
28	उत्तराखंड	1	0	1
29	पश्चिम बंगाल	89	3	92
30	अं.और नि. द्वीपसमूह	424	0	424
31	चंडीगढ़	1	0	1
32	दा. और न. हवेली	0	0	0
33	दमण और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	58	3	61
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	1299	27	1326